न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर

अपील एल आर एक्ट 77/2012/टोंक

1. गोपाल पुत्र चन्द्रा जाति माली निवासी ग्राम सुरेली तह0 उनियारा (मृतक) जरिये वारिसान–
1/1 श्रीमति हरली पत्नि स्व0 गोपाल माली,
1/2 श्रीमति कन्या पुत्री गोपाल पत्नि छित्तर
1/3 श्रीमति तीजा पुत्री गोपाल पत्नि छित्तर,
1/4 श्रीमति कैलाशी पुत्री गोपाल जरिये वारिसान
1/4/1 गंगाराम पुत्र नानगराम,
1/4/2 पप्पू पुत्र दुर्गाराम,
1/4/3 हेमराज पुत्र दुर्गाराम,
1/4/4 दामोदर पुत्र दुर्गाराम,) जरिये संरक्षक पिता श्री गंगाराम
1/4/5 मनराज पुत्र गंगाराम,) जरिये संरक्षक पिता श्री गंगाराम
1/4/6 लाला पुत्र गंगाराम,) जरिये संरक्षक पिता श्री गंगाराम
समस्त जाति माली निवासी सोलपुर तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाईमाधोपुर,
2. गलोल धर्मपत्नि श्योजीलाल जाति माली नि0 सुरेली तह0 उनियारा जिला टोंक(राज0)

–अपीलांटस

बनाम

1. सुखपाल(मृतक) पुत्र चन्द्रा जाति माली निवासीयान ग्राम सुरेली जरिये वारिसान
1/1 श्रीमति राधा पत्नि स्व0 सुखपाल,
1/2 भैरू पुत्र सुखपाल,
1/3 मनीष पुत्र सुखपाल
समस्त जाति माली निवासी सुरेली तहसील उनियारा जिला टोंक
2. सुखदेवा पुत्र चन्द्रा तहसील उनियारा जिला टोंक(राज0)
3. तहसीलदार उनियारा।

–रेस्पोडेण्टस

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 04.04.2011 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा प्रकरण संख्या 1/2010 उनवानी सुखपाल बनाम गोपाल बाबत नामान्तरण संख्या 63 दिनांक 26.09.61

उपस्थित अभि0ः– श्री ए0एस0राठौड़(अपीलांट अभि0)
श्री एस0एल0 चौधरी(रेस्पा0 अभि0)
श्री आकाश पारीक(राजकीय अभि0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:39:42 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांकः—20.05.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 26.09.2021 को तत्कालीन तहसीलदार द्वारा नामातंरण संख्या 63 अपीलांट नम्बर 1 गोपाल पुत्र चन्द्रा जाति माली निवासी ग्राम सुरेली के पक्ष में वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 131 के संदर्भ में भरा गया। उक्त नामातंरण धारा 15 आरटी एक्ट में स्वीकृत किया गया था। गोपाल पुत्र चन्द्रा द्वारा उक्त खसरा नम्बर की 0.13 हे0 भूमि अपीलांट नम्बर 2 को दिनांक 17.03.2009 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से बेच दी। उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा प्रकरण संख्या 1/2010 सुखपाल बनाम गोपाल में दिनांक 04.04.2011 से पूर्व स्वीकृत नामातंरण संख्या 63 दिनांक 26.09.1961 को खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध उक्त अपील निम्न आधार पर प्रस्तुत की जा रही है—

1. अधीनस्थ न्यायालय में अपील बहुत देरी से की गई।
2. रेस्पो0 संख्या 1 व 2 व्यथित पक्षकार नहीं थे तथा विवादित भूमि में उसका कोई संबंध नहीं है।
3. अपीलांट नम्बर 2 को बिना सुने अपीलाधीन आदेश पारित किया जो गलत है।

उक्त अपील के साथ अपीलांट द्वारा मियाद अवधि अधिनियम धारा 5 मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया। साथ ही गलोल अपीलांट नम्बर 2 द्वारा धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

उक्त अपील न्यायालय के क्षैत्राधिकार में होने से दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिसेज जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय से पत्रावली तलब कर प्राप्त की गई। बहस उभय पक्ष वकील सुनी गई,

बहस के दौरान वकील अपीलांट द्वारा बताया गया कि उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अपीलाधीन आदेश में धारा 96 सीपीसी और मियाद अवधि अधिनियम प्रार्थना पत्र पर कोई निर्णय नहीं दिया गया। नामातंरण संख्या 63 दिनांक 26.09.1961 को दिनांक 04.04.2011 को उपखण्ड अधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया गया। जिसके विरूद्ध वर्तमान अपील हमारे द्वारा की गई है। धारा 15 आरटी एक्ट में हमे खातेदारी दी गई थी। खातेदार होने की वजह से दिनांक 17.03.2009 को 0.13 हे0 जमीन बेचान की थी। रेस्पो0 द्वारा 51 वर्ष बाद अपील की गई थी, अपील राज्य सरकार द्वारा की जानी चाहिए थी चूंकि रेस्पो0 नम्बर 1 व 2 व्यथित पक्षकार की श्रेणी में नहीं आते है। लैण्ड रेवन्यु एक्ट की धारा 24 से 27 में यह कहा गया है कि नायब तहसीलदार और तहसीलदार के अधिकार समान होते है। बहस के दौरान दो न्यायिक दृष्टांत वकील अपीलांट द्वारा बताये गये, 87/आरआरडी पेज 97 तथा एआईआर—2007—सुप्रिम कोर्ट—पेज 2025,

रेस्पो0 अभि0 द्वारा बहस में बताया कि नायब तहसीलदार द्वारा नामातंरण धारा 15 में गलत तरिके से स्वीकार किया गया। धारा 15 के तहत उपखण्ड अधिकारी या सहायक कलक्टर सिर्फ दावे के माध्यम से ही खातेदारी प्रदान कर सकते थे। कब्जा मेरा है, विधि विरूद्ध निर्णय में मियाद अवधि की कोई बात

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:39:42 IST
Reason: SelfAttested

आवश्यक नहीं है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा मेरिट पर कोई निर्णय दिया गया जो सही है। हमारे नाम भूमि नहीं है। बिलानाम दर्ज कर दी गई है।

अपीलांट अभि0 द्वारा निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये–

1. **आरआरडी 87 पेज संख्या 97(एच0सी)**–कानून की प्रक्रिया से धारा 19(1ए)आरटी एक्ट 1955 के तहत सबटिनेन्ट को नामातंरण प्रक्रिया से खातेदारी अधिकारी दिये जा सकते है। तहसीलदार का आदेश यथावत रखा गया।

2. **एआईआर 2008 पेज संख्या 2025(एच0सी)**–राज्य सरकार के विरूद्ध घोषणा के बाद मे डिक्री पारित होने के बाद राज्य सरकार द्वारा डिक्री पारित नहीं की जाती है तो सब डिपेन्डेंट द्वारा अपील दायर नहीं की जा सकती है।

3. **आरबीजे 2008 पेज संख्या 722**–अपील प्राधिकारी अपील के निर्णय से पूर्व धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम को धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र का आवश्यक रूप से निस्तारण करें।

4. **आरबीजे 2006 पेज संख्या 78(एच0सी)**–आदेश 41 नियम 3–ए(3) एवं भारतीय मियाद अवधि अधिनियम धारा 5 देरी को क्षमा किये बिना अपील कोम्पीटेंट नहीं होगी।

5. आरआरडी 1999 पेज संख्या 98–मेरिट पर निर्णय से पूर्व मियाद अवधि के प्रार्थना पत्र का निस्तारण आवश्यक है।

6. **आरआरडी 1999 पेज संख्या 389(एच0सी)**–राज्य सरकार द्वारा रेवन्यु बोर्ड में 96 की देरी को नहीं समझाया गया। राजस्व मण्डल द्वारा संयुक्त रूप से खारिज की गई।

7. **आरआरडी 1999 पेज संख्या 152(एच0सी)**–राज्य सरकार द्वारा 535 दिन देरी से अपील प्रस्तुत की गई, कोई कारण नहीं बताया गया। स्पेशियल अपील खारिज की गई।

8. **आरआरटी 2012 पार्ट प्रथम पेज संख्या 101**–प्रथम अपील मियाद अवधि के बाहर थी, उस प्रार्थना पत्र निस्तारण न करके समय बाधित थी तथा आरएए द्वारा अपील का निस्तारण किया गया जो गलत है।

9. **डीएनजे 1998 पार्ट द्वितीय राजस्थान पेज संख्या 761**–धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम के प्रार्थना पत्र निस्तारण न करते हुए प्रकरण अंतिम रूप से निस्तारण पर खारिज किया गया।

उपखण्ड अधिकारी उनियारा के अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.04.2011 का अवलोकन किया गया। निर्णय के अनुसार नायब तहसीलदार को धारा 15 के आरटीए के तहत खातेदारी अधिकार देने की शक्ति नहीं थी मगर फिर भी अपने अधिकार क्षैत्र से बाहर जाकर नामांतरण पर खातेदारी अधिकार प्रदान किया। अतः नामातंरण संख्या 638 दिनांक 29.06.1961 को एब इनिशियो एवाइड मानते हुए उनके द्वारा खारिज किया गया। उक्त निर्ण[illegible] के द्वारा आरआरडी 1975 पेज 397 राज्य बनाम विजयसिंह का उल्लेख किया है। जहां तक अपीलांट की बहस के मुख्य आपत्ति है वह यह है कि [illegible] द्वारा धारा 96 सीपीसी एवं धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम के प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किये बिना अपीलाधीन

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:39:42 IST
Reason: SelfAttested

आदेश पारित किया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त प्रार्थना पत्रों पर कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। आराजी रेस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में धारा 96 सीपीसी का एवं धारा 5 का प्रार्थना पत्र लगाया गया था। मगर अपने फैसले में इनका उल्लेख करने के बावजूद उपखण्ड अधिकारी द्वारा उक्त प्रार्थनों पत्रों के कोई निर्णय नहीं दिया गया।

दौराने अपील पैरवी अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3,4,9 सीपीसी तथा धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम का प्रस्तुत किया था। जिसके अनुसार अपीलांट गोपाल की मृत्यु हो चुकी है तथा यह भी बताया कि गोपाल की एक पुत्री कैलाशी का भी निधन हो चुका है तथा रेस्पो0 सुखपाल का भी निधन हो चुका है तथा निवेदन किया है कि मृतको के वारिसान का राईट टू स्यू सरवाईव करता है। हरली पत्नि स्व0 गोपाल स्वस्थ मस्तिष्क की नहीं है और रोग में रहती है। जिसकी वजह से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में देरी हुई है। अबेटमेंट से मुक्ति हेतु आदेश 22 नियम 9 सीपीसी भी प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ एक शपथ पत्र भी दिया गया। दिनांक 04.12.2019 को उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया तथा मृतक गोपाल एवं सुखपाल के वारिसान को रिकोर्ड पर लिये जाने का आदेश जारी किया गया। साथ ही संशोधित शीर्षक एवं रेस्पो0 संख्या 1 के वारिसान को रजिस्टर्ड ए0डी0 के तलबी के निर्देश दिये गये। दिनांक 04.03.2020 को रेस्पो संख्या 1 के वारिसान एवं रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से श्री शंकरलाल एडवोकेट द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रजिस्टर्ड सैल डीड दिनांक 17.03.2009 के अनुसार गोपाल पुत्र चंद्रा माली द्वारा खसरा नम्बर 131 , 0.13 हे0 का सम्पूर्ण रकबा एवं नम्बर 623/0.59 हे0, 684/0.29 हे0 मे से अपना हिस्सा कुल रकबा 0.57 हे0 विक्रय कर दिया।

सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 अधिनियम प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया, अपीलांट के अनुसार दिनांक 04.04.2011 के आदेश की जानकारी ने 09.01.2012 को दी है तथा नकल प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दिया और दिनांक 19.03.2012 को न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर दी गई है। उन्हें नकल 10.01.2012 को मिली थी। धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ अपीलांट द्वारा अपना शपथ पत्र भी दिया गया है प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अपीलांट को जानकारी होने के तुरंत बाद उसके द्वारा अपील प्रस्तुत कर दी गई है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है। एक अन्य प्रार्थना पत्र गलोल पत्नि सोजीलाल माली अपीलांट संख्या 2 द्वारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसके द्वारा वादग्रस्त भूमि में से 0.13 हे0 भूमि क्रय की हुई है। अतः उसे अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जायें। वादग्रस्त भूमि में कुछ भूमि क्रय करने की वजह से गलोल अपीलांट संख्या 2 व्यथित पक्षकार होने से उन्हें अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जाती है। प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी द्वारा गलोल स्वीकार किया जाता है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया, उपलब्ध दस्तावेजात बहस बिन्दुओं पर मनन किया गया। मुख्य विवाद यह है कि क्या उपखण्ड तहसीलदार धारा 15 आरटीए के तहत खातेदारी अधिकार प्रदान कर सकता है अथवा नहीं। नामातंरण संख्या 63

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:39:42 IST
Reason: Certified

दिनांक 26.02.1961 का अवलोकन किया गया, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नामातंरण का सही रूप से अवलोकन नहीं किया जाना पाया जाता है। उक्त नामातंरण विधिवत रूप से तहसीलदार की आज्ञा दिनांक 07.07.1961 की पालना में राजस्व कर्मियों द्वारा भरा जाकर, जांच की जाकर नायब तहसीलदार से स्वीकृत करवाया। नामातंरण के फुट नोट में यह अंकित किया हुआ है कि खसरा संवत 2012 से खसरा नम्बर 198 में गोपाल माली काश्त कब्जा जारी है। खसरा नम्बर 1121/2 में संवत 2013 से काश्त कर रहे है। मुताबिक आदेश तहसीलदार दिनांक 07.07.1961 से नामातंरण भरवाया गया है। हस्ताक्षर सत्यनारायण आई0एल0आर दिनांक 29.09.1961, पटवारी द्वारा यह अंकित किया हुआ है कि श्रीमान जी माफिक आदेश नम्बर 683 दिनांक 12.07.1961 मुताबिक नामातंरण वास्ते स्वीकृति प्रस्तुत है। नायब तहसीलदार द्वारा अपने अंकन में खसरा नम्बर 198 हेतु नामातंरण स्वीकृत किया हैं। स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार द्वारा तहसीलदार के आदेश की पालना में उक्त नामातंरण वाद जांच स्वीकृत किया है। अतः उपखण्ड अधिकारी का यह निर्णय की नायब तहसीलदार द्वारा आरटीए 15 के तहत खातेदारी दी गई है यह निष्कर्ष गलत है।

न्यायालय का यह मानना है कि अपील बहुत देरी से उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई थी और देरी को क्षमा करने के लिए कोई उचित कारण नहीं बताया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर कोई निर्णय नहीं किया गया। जो अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो के मुताबिक गलत है। न्यायालय भी उक्त बात से सहमत है कि प्रथमतः धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर निर्णय लिया जाना चाहिए था जो नही लिया गया।

उपखण्ड अधिकारी द्वारा धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र का भी निस्तारण नहीं किया गया है। उपखण्ड अधिकारी को निर्णय से पूर्व यह देखना चाहिए था कि सुखपाल और सुखदेवा किस प्रकार से व्यथित पक्षकार थे उनके द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर दिया जाना प्रकट नही होता है। जिसमें उनका वादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा साबित होता है। मगर बिना इन चीजों को देखे हुए उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो गलत है। सुखपाल और सुखदेवा इस प्रकरण में व्यथित पक्षकार नहीं थें, अपितु यह अपील तहसीलदार(राज्य सरकार) द्वारा की जानी थी। उपरोक्त विश्लेषण अनुसार उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा दिनांक 04.04.2011 अपास्त योग्य पाया जाता है। नायब तहसीलदार द्वारा सही रूप से नामातंरण खोला जाना पाया जाता है।

कियात्मक आदेश

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 04.04.2011 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा प्रकरण संख्या 1/2010 उनवानी सुखपाल बनाम गोपाल बाबत नामान्तरण संख्या 63 दिनांक 26.09.1961 स्वीकार की जाती है। उपखण्ड अधिकारी उनियारा का आदेश दिनांक 04.04.2011 निरस्त किया जाता है। नामातंरण संख्या 67 दिनांक 26.09.1961 ग्राम सुरेली यथावत रखा जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:39:42 IST
Reason: SelfAttested

यह आदेश आज दिनांक 20.05.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:39:42 IST
Reason: SelfAttested